निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्याः–50 / 17 दायरा 03.10.17

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़
प्रार्थी.....................

बनाम

1. राजकुमार जोगी आ0 अमरलाल विकेता एवं मालिक मैसर्स श्रीनाथ मेडिकल स्टोर बस स्टेण्ड झालरापाटन
2. नरेन्द्र कुमार जैन आ0 मेघराज जैन विकेता एवं मालिक मैसर्स जैन ट्रेडर्स बोहरा जी का नोहरा वार्ड सं0 13 झालावाड़
3. पवन कुमार नॉमिनी मैसर्स बरमाल्ट मलटिंग इण्डिया प्रा0लि0 विलेज खलिवास पोस्ट मसानी जिला रेवाड़ी हरियाणा 123106

गैर सायल...............

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2– वकील गैर सायल नं0 3

–: आदेश :–

दिनांकः– 16.08.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 20.09.16 को समय सांय 4 बजे मय टीम के मैसर्स श्रीनाथ मेडिकल स्टोर बस स्टेण्ड झालरापाटन जिला झालावाड़ पर निरीक्षण के लिये पहूँचां, वहॉ पर राजकुमार जोगी फूड सप्लीमेन्ट बोर्नविटा के विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय अनुज्ञापत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत नही किया–निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु बोर्नविटा बेचान हेतु रखा हुआ था जो वास्ते नमूना जॉच हेतु 200 ग्राम की 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विकेता को रू0 250/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न हैं–मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विकेता व गवाह ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विकेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ बोर्नविटा के मूल पैक पर लेबल चिपकाये ओर लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डीओ के कोडएवं कमांक वी–452 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान ने हस्ताक्षर कराये । नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डीओ के कोड कमांक पेपर स्लीप नं0 वी 752 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा च.श्रै.कर्म0 कार्यालय हाजा के द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.

आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017 /301–4 दिनांक 22.12.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशेलेषक, कोटा राजस्थान से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक सं0 247/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/435/दिनांक 14.12.16 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ बोर्नविटा मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएस/2017/355 दिनांक 10.08.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ बोर्नविटा मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया । गैर सायलान नं0 1 व 2 उपस्थित हुवे गैर सायल नं0 3 की ओर से वकील श्री विनायक बालचंदानी द्वारा वकालत नाम पेश कर जवाब प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के बयान लिये गये गैर सायल नं0 1 व 2 दौराने बहस अनुपस्थित रहे। वकील गैर सायल नं0 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुवे कथन किया गया कि फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ किन कारणों से मिस ब्राण्ड है, साथ ही दोराने बहस विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट भी नही भिजवाई गई जिससे ज्ञात हो सके की उक्त खाद्य पदार्थ मिस ब्राण्ड है। अतः इस्तगासा खारिज किया जाकर गैर सायलान को बरी किया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ बोर्नविटा मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से अवमानक खाद्य पदार्थ बोर्नविटा मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ बोर्नविटा मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। साथ ही अनुरोध किया किया की फूड एनोलिस्ट से प्राप्त जॉच रिपोर्ट नियमानुसार रजिस्टर्ड डाक द्वारा तीनो गैर सायलान को भिजवाई गई थी, जिसके विरूद्व इनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस, व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ बोर्नविटा मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जॉच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.)(सी)(आई के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल नं0 1 व 2 राजकुमार जोगी व नरेन्द्र कुमार जैन को 5000–5000/– व गैर सायल 3 पवन कुमार नॉमिनी मैसर्स बरमाल्ट मलटिंग इण्डिया प्रा0लि0 को 10000/– के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.08.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

16/8/18

(रामचरण शर्मा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)